एकल पीठ दां. प्रकीर्ण अंतरण प्रार्थना पत्र संख्या 11/2006

बद्रीलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य।

दिनांक 28 /6/2006

माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम

श्री एम.एम. रंजन अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण उप0

श्री बी.के.शर्मा लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र धारा 407 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत, क्रिमीनल केस नंबर 429/2004 पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर के मामले को, कानून व व्यवस्था के कारण जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर के यहां से हस्तान्तरण किये जाने का आवेदन किया गया था। मगर उक्त आवेदन पत्र आदेश दिनांक 23/5/2006 के अनुसार खारिज कर दिया गया। हालांकि सुरक्षा प्रदान किये जाने के बाबत कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होने का निर्देश दिया गया मगर विपक्षीगण के प्रभाव के कारण न्यायालय में जाना सम्भव नहीं होने और वहां अभिभाषक की सुविधा उक्त कारणों से नहीं होने से मामले को उक्त सवाई माधोपुर से अन्य अन्तरण करने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अन्तरण प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्यों को देखते हुए, मेरी राय में उपर्युक्त क्रिमीनल केस को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ,सवाई माधोपुर के यहां से करौली न्याय क्षेत्र में अंतरित किया जाना न्यायोचित है।

अत: आदेश दिया जाता है कि क्रिमीनल केस नंबर 429/2004 पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर के मामले को संबंधित विचारण न्यायालय न्याय क्षेत्र, सवाई माधोपुर के यहां से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के न्यायालय में विधि अनुसार विचारण करने के लिये अंतरित किया जाता है।

(चतरा राम)
न्यायाधिपति